प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' सैंतीस '

[28/11/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 1269]

परिशिष्ट "अ"

तारांकित प्रश्न क्रमांकः 1269

नशामुक्ति कार्यक्रम

समाज के हर वर्ग में बढ़ रही नशा सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिये विभाग द्वारा जनजागृति कार्यक्रमों के माध्यम से नशा के दुष्परिणामों से जन सामान्य को अवगत कराते हुए जनचेतना के माध्यम से नशा छोड़ने की भावनात्मक पहल की जाती हैं।

नशामुक्ति कार्यक्रम अन्तर्गत 31 मई अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस, 26 जून अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस दिवस, 2 से 8 अक्टूबर मद्य निषेध सप्ताह, तथा 30 जनवरी संकल्प दिवस का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जाता हैं। इन अवसरो पर रैली, नुक्कड नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला, निबंध लेखन, बाद विवाद, प्रतियोगिताएं अशासकीय संस्थाओं, विद्यालयो, महाविद्यालयों के माध्यम से जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

विभाग द्वारा बच्चों में बढ़ रही नशा सेवन प्रवृत्ति की रोकथाम के लिये परामर्श व उपचार हेतु अशासकीय संस्था– स्वामी विवेकानन्द सामाजिक उत्थान परिषद् (पथरिया) दमोह, ज्ञान सरोवर शिक्षा एवं जन कल्याण समिति शाखा (इटारसी) होशंगाबाद तथा सेवा सार्थक कल्याण समिति इन्दौर के माध्यम से बाल नशामुक्ति केन्द्र स्थापित कर, संचालन करने हेतु रूपये 21,82,600 का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया हैं। इन केन्द्रो से 744 बच्चों को नशामुक्त किया गया हैं।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

20.11.17
उप संचालक (नशाबंदी)
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण,, मध्यप्रदेश

परि.अधि.
महिला एवं बाल विकास

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय पुलिस मुख्यालय (अ0अ0वि0) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक / अअवि / वि.सभा सेल / तारां. प्रश्न क्र–1269 / 1166 / 17 दिनांक 17 / 11 / 17

प्रति,

श्रीमती जयश्री कियावत
आयुक्त महिला सशक्तिकरण
मध्य प्रदेश.

विषयः– विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1269 द्वारा मान. विधायक श्री कमलेश शाह से संबंधित जानकारी बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / ICPS / 17 / 5777 दिनांक 13.11.2017।

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक–1269 के संबंध में संदर्भित पत्रानुसार चाही गई जानकारी के संबंध में लेख है कि उपरोक्त प्रश्न की जानकारी प्रदेश के सभी जिलों से एवं तीन जोनल रेलवे पुलिस अधीक्षक कार्यालयों से चाही जाकर संकलित की गई। जिला भोपाल एवं जिला विदिशा में क्रमशः एक–एक अपराध किशोर न्याय अधिनियम 2015 (जे जे एक्ट) की धारा 77 के अनुसार पंजीबद्ध होना पाया गया। इन अपराधों में की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) जिला–भोपाल थाना हबीबगंज अपराध क्रमांक 506 / 17 धारा 77 किशोर न्याय अधिनियम 2017

कार्यवाही का विवरण– आरोपी अजय किशोर प्रजापति पिता प्यारेलाल उम्र 31 वर्ष निवासी गली न. एक कुम्हारपुरा जहाँगीराबाद भोपाल द्वारा दिनांक 12.09.17 को घटना स्थल 12 नंबर हबीबगंज अपनी पान की दुकान से नाबालिग करण पिता उमेश उम्र 13 साल निवासी मल्टी नंबर 11 एस–2 इन्द्रानगर शाहपुरा को सिगरेट एवं व्हाइटनर (सुलोचन) पिलाने का कृत्य करना पाया गया है। आरोपी द्वारा नाबालिग बच्चे को मनोत्तोजक (नशीला) सामान बेचने पर से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान एक आरोपी अजय किशोर प्रजापति प्यारेलाल 21 साल निवासी 16 गली न. 2 कुम्हारपुरा जहाँगीराबाद भोपाल को दिनांक 12.09.17 को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण विवेचना में है।

(2) जिला–विदिशा थाना कोतवाली अप.क्र. 735 / 16 धारा 77 किशोर न्याय अधिनियम 2015

कार्यवाही का विवरण– थाना कोतवाली विदिशा में दिनांक 01.10.16 को अप.क्र. 735 / 16 धारा 77 किशोर न्याय अधिनियम 2015 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जाकर विवेचना के दौरान 1–रोहित उर्फ जेम्स पुत्र सुरेश राजपूत उम्र 19 निवासी पानी की टंकी के पास विदिशा, 2–राहुल पुत्र सुरेश राजपूत उम्र 24 साल निवासी पानी की टंकी के पास विदिशा लूट आप्टिकल्स नीमताल विदिशा एवं निकासा विदिशा में सिगरेट एवं लिक्विट स्मौक जूस आदि नशीले पदार्थ में नाबालिग बच्चों को बेचना पाया जाने पर गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में चालान क्रमांक 571 / 16 दिनांक 30.11.16 तैयार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विदिशा में प्रकरण क्रमांक 1901446 / 2016 दिनांक 07.12.16 पर विचाराधीन है।

प्रश्न के तारतम्य में चाही गई जानकारी सादर प्रेषित है।

17/11/2017
(विजय भागवानी)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक(जे)
हेतु–अति. पुलिस महानिदेशक
अ0अ0वि0पु0मु0भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

20/11/17
34
20/11/2017

Scanned by CamScanner